भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †180
सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन विकास के संबंध में अध्ययन

†180. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में पर्यटन के विकास के संबंध में कोई अध्ययन कराया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश को पर्यटकों के लिए पर्यटक-हितैषी, विविध जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत और परम्पराओं तथा रंगारंग मेलों और उत्सवों को स्थायी आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): हाल के वर्षों में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। पर्यटन का विकास निरंतर चलने वाला कार्य है जिसे सरकार द्वारा निष्पादित किया जाता है।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय ने देश को आगंतुकों के अनुकूल बनाने और देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं/पहले शुरू की हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

(i) देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के प्रति नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और नागरिकों को देश में ही यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल की शुरूआत की गई।

(ii) बेहतर मानक सेवा प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत करने हेतु 'सेवाप्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)' योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(iii) अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल की शुरूआत की गई जिसका लक्ष्य पर्यटकों की सहायता करने के लिए देश भर में सुप्रशिक्षित पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं के एक पूल का निर्माण करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म बनाना है।

(iv) 24X7 टोल फ्री बहु-भाषीय पर्यटक हेल्पलाइन।

(v) वर्तमान में ई-वीजा, ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-कॉन्फ्रेस वीजा, ई-आयुष वीजा और ई-आयुष अटेंडेट वीजा की सात उप-श्रेणियों में उपलब्ध है। ई पर्यटक वीजा के 3 विकल्प उपलब्ध हैं - (i) बहु प्रवेश के साथ 05 वर्ष; (ii) बहु-प्रवेश के साथ 1 वर्ष और (iii) दोहरे प्रवेश के साथ एक माह।

(vi) आरसीएस उड़ान पर्यटन के तहत पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी हेतु 53 पर्यटन रूटों पर प्रचालन शुरू किया है।

(vii) पर्यटन मंत्रालय आगंतुकों को समृद्ध पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास हेतु 'स्वदेश दर्शन', तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन का संवर्धन भी कर रहा है।

(viii) पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) योजना के तहत मेलों एवं महोत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों जैसे सेमिनार, कानक्लेव, संगोष्ठी आदि के आयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****